<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाधाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—543 / 2009</u> संस्थित दिनांक—20.10.2009

1—अर्जुन पिता घनश्याम धुर्वे, जाति परधान उम्र—26 वर्षे, निवासी—ग्राम कैण्डाटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—मोन्टू उर्फ रविकुमार पिता शंकरलाल मेरावी, जाति परधान उम्र—27 वर्ष, निवासी—ग्राम कैण्डाटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—कोमल तेकाम पिता सुन्दरलाल, जाति परधान उम्र—25 वर्ष, निवासी—ग्राम कैण्डाटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4—सुरेश पिता बिहारीलाल वासनिक, जाति महार उम्र—31 वर्ष, निवासी—ग्राम कैण्डाटोला, थाना बिरसा,

जिला बालाघाट (म.प्र.) ----- <u>अारोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-13/05/2015 को घोषित)</u>

1— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—458, 323/34 (दो बार), 324/34 (दो बार), 294, 506 (भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होनें दिनांक—30.09.2009 की रात 2:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम कैण्डाटोला में फरियादी सुभद्राबाई के घर के दरवाजे को लात मारकर हमला या उपहित कारित करने के आशय से दरवाजा खोलकर सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन कारित किया, फरियादी सुभद्राबाई तथा आहत पंचूसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की, फरियादी को एक बांस की लाठी जो कि एक तरफ फटी

हुई थी, जिसे भेदन के उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जा सकता था से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की, फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी सुभद्राबाई 2-ग्राम कैण्डाटोला में रहती है एवं मजदूरी का कार्य करती है। दिनांक-29.09.2009 को रात्रि 8:00 बजे पंचू सिंह उसके यहां बैठने के लिए आया था, जिसे उसने खाना खिलाया और जाने के लिए कहा, किन्तु पंचूसिंह वहीं पर घर के बाहर की छपरी पर सो गया। रात के करीब 2:00 बजे उसके लड़के संजय को 3-4 लड़के आवाज देकर बुला रहे थे, तो उसने बिना दरवाजा खोले ही संजय घर पर नहीं है बोली तो गांव के अर्जुन परधान ने उसके घर के दरवाजे को लात मारकर खोला और बोला कि संजय को घर में छिपाकर रखी है, देखता हूं बोलकर घर में घुस गया। उसके साथ मोन्ट्र परधान, कोमल परधान और सुरेश महार भी थे। उसके घर में सोए पंचू सिंह को कहने लगे की तू यहां क्या कर रहा है, कहकर मोन्टू ने लाठी से दाहिने हाथ की कोहनी के पास एवं कोमल ने हाथ-मुक्कें से दोनों गालों पर एवं सुरेश ने बांए पैर की पिंडली पर मारा और बोले की घर छोड़कर दूसरे के यहां सोता है। मादरचोद की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। सुभद्राबाई ने बीच बचाव किया तो अर्जुन परधान ने मादरचोद बीच में आती है कहकर लाठी से सिर पर मारा, जिससे खून बहने लगा, उसके बचाव-बचाव चिल्लाने पर वे लोग कहने लगे की आज तो बच गए अगली बार देख लेने की धमकी देकर चले गए। उक्त घटना को सरस्वतीबाई एवं नेम कुंवरबाई ने देखा है। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थिया ने थाना बिरसा में जाकर की। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-66 / 09, धारा-452, 294, 323, 324, 506, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं घटना रात्रि के समय की होने के कारण अंतिम प्रतिवेदन में धारा–456 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—458, 323/34 (दो बार), 324/34 (दो बार), 294, 506 (भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—30.09.2009 की रात 2:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम कैण्डाटोला में फरियादी सुभद्राबाई के आवासीय घर में फरियादी को हमला या उपहित कारित करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व दरवाजा खोलकर प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुभद्राबाई तथा आहत पंचूसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुभद्राबाई व पंचूसिंह को एक बांस की लाठी जो कि एक तरफ फटी हुई थी, जिसे भेदन के उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जा सकता था, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुभद्राबाई व पंचूसिह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 5. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुभद्राबाई व पंचूसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी सुभद्राबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व कुंवार के महिने की 29 तारीख की है। घटना दिनांक को लगभग 2:00 बजे चारो आरोपीगण कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ उसके घर पर आए थे। दरवाजे से आरोपीगण ने पुकार लगाई कि

उसका बेटा संजू है या नहीं, तो उसने जवाब दिया कि अभी नहीं है सुबह आ जाना, तो आरोपी अर्जुन बोला कि तेरी माँ की चूत दरवाजा खोलना है या नहीं। उसके बाद आरोपीगण ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और लगभग 12 आदमी अंदर घुस गए और पूछने लगे की घर में सोया हुआ आदमी कौन है, तो उसने बताया कि मेहमान आदमी है, खाना खाते-खाते 12 बज गए थे, इसलिए यहीं सो गया, तो आरोपीगण ने जो मेहमान पंचू उसके घर पर आया था, उसे लाठी से मारने लगा। आरोपीगण के मारने से पंचू को चेहरे, हाथ और पैर में चोट आई थी। आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में रात के 3:00 बजे की थी। उक्त साक्षी का कहना है कि वह जब थाने से वापस आ रही थी तो रास्ते में आरोपीगण ने उसे पकड़कर खींच-तान किए और उसे पकड़कर खींचकर वापस उसके घर लाए। वहां उसने देखा कि आरोपीगण ने पंचू के साथ मारपीट की और उसे नंगा करके बैठालकर रखे थे। आरोपीगण ने पंचू को रस्सी से बांधकर रखा था और उसे भी वहीं बांध दिया और उसके साथ भी मारपीट की। मारपीट करने वालों में मन्दू, अर्जुन, कोमल, झनक, सुरेश, कलम, घन्सू, अंगद, रमेश, घनश्याम ऐसे बारह आदमी थे। फिर आरोपीगण ने उन लोगों को पकड़कर थाना ले जाने लगे। रास्ते में आरोपी अर्जुन ने लाठी से उसके सिर पर ऐसा मारा कि वह बेहोश हो गई और उसे बेहोश पड़ा देखकर आरोपीगण ने उन्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। फिर घटना के दूसरे दिन वह और पंचू थाने में रिपोर्ट करने गए, जहां पुलिसवाले मुलाहिजा करने उसे अस्पताल लेकर गए थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर मौकानक्शा बनाया था और उसके बयान लिए थे।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट 30 तारीख को लिखाई थी और रिपोर्ट लिखाते समय केवल चार लड़कों का नाम बताया था। इस प्रकार साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है। जहां तक उसकी साक्ष्य में आरोपीगण के अलावा अन्य लोगों के द्वारा घटना में शामिल होने का प्रश्न है। इस संबंध में यदि साक्षी ने कुछ बढ़ा—चढ़ाकर कथन किये भी हों तो उक्त कारण से साक्षी के कथन अविश्वसनीय नहीं हो जाते हैं। घटना के संबंध में अभियोजन मामलें के अनुसार उक्त फरियादी के द्वारा संपूर्ण वृत्तांत अपनी साक्ष्य में पेश करते समय स्वाभाविक रूप से कुछ तथ्य बढ़ा—चढ़ाकर पेश करने मात्र से साक्षी की साक्ष्य संदेहास्पद नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार साक्षी ने फरियादी के रूप में अभियोजन मामलें का महत्वपूर्ण

समर्थन किया है।

- आहत पंचूसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले वर्ष रात के 2:00 बजे की है। घटना के पूर्व सुबह के समय सुभद्रा उसके पास आई और कहा कि उसकी लड़की गुम हो गई है, रिपोर्ट करने चलना है, तो वह सुभद्राबाई के साथ थाना गया था। उसके बाद पुनः 4:00 बजे लड़की की गुमशुदगी के संबंध में थाना गए, वहां टाईम लग गया तो रात को वापस सुभद्राबाई के साथ गांव आए तो सुभद्राबाई ने कहा कि खाना खा लो, फिर लड़का आएगा साथ में चले जाना। रात में 9:00 बजे खाना खाने के बाद नींद आने लगी तो सुभद्राबाई ने कहा कि यहां सो जाओ, लड़का आएगा तो चले जाना। रात को अचानक 2:00 बजे आरोपीगण सुभद्राबाई के यहां आए और कहने लगे कि दरवाजा खोल तो सुभद्राबाई ने कहा कि उसका लड़का घर पर नहीं है, दरवाजा नहीं खोलती। उसके बाद आरोपीगण सुभद्राबाई को मॉ-बहन और तेरी मॉ को चोदू की गालियां देकर दरवाजा खोलने के लिए कहा। गालियां सुनने में उसे बुरी लग रही थी। आरोपीगण ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर आकर उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके हाथ बांधकर उसे बैठा दिया और मारपीट करने लगे। रात के लगभग 3:00 बजे सुभद्राबाई वहां से भाग निकली और गांव और थाने में खबर गई। फिर बाद में आरोपीगण ने सुभद्राबाई को पकड़ लिए और मारपीट कर कपड़े फाड़ कर नंगा कर दिया और उन दोनों के हाथ बांध दिए और हाथ बांधकर आरोपीगण थाने लेकर जा रहे थे। फिर आरोपीगण को पता चला कि उनकी थाने में पहले से ही शिकायत है तो आरोपीगण उन्हें थाने लेकर नहीं गए। फिर बस्तीवालों ने उन्हें छुड़ाया। पुलिस ने पृछताछ कर उसके बयान लिए थे।
- 8— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने फरियादी सुभद्राबाई के कथन का समर्थन करते हुए अभियोजन मामलें के अनुरूप साक्ष्य पेश की है। इस साक्षी के कथन में महत्वपूर्ण लोप या विरोधाभास होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत होते हुए अभियोजन मामलें का महत्वपूर्ण रूप से समर्थन किया है।
- 9— कमलिसंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—1 लगायत 4 बनाया

था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण से लकड़ी व बांस की जप्ती की गई थी। साक्षी ने अभियोजन मामलें का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है। नेम कुंवर बाई (अ.सा.5) एवं सरस्वती (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में 10-कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानती है। वह आरोपी सुरेश को भी जानती है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व दिन के 9:00 बजे की पटेल के घर के सामने की है, वहां पर भीड़ लगी हुई थी। उसने देखा कि पंचू की पहली बीवी ने पहले पंचू को मारा, फिर पंचू की दूसरी बीवी सुभद्रा को मारा। सुभद्राबाई के सिर पर चोट आई थी, जिससे वह गिर गई थी, तो आरोपीगण ने उसको उठकर उसकी मदद की और उसे पेज पिलाया। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने पंचू व सुभद्राबाई को गाली-गुलोज कर मारपीट की थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-8 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने गाली-गलौज एवं मारपीट नहीं की थी और न ही रात में कोई घटना हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का अपनी साक्ष्य में किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया है।

- 11— सरस्वती (अ.सा.६) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानती है। वह आरोपी सुरेश को भी जानती है। उसे याद नहीं है कि घटना कितने साल पूर्व की है। सुबह पटेल के यहां भीड़ थी तो देखने गई थी। वहां पर पंचू की पहली पत्नी ने पंचू की दूसरी पत्नी व पंचू के साथ मारपीट की थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने पंचू और सुभद्राबाई के साथ गाली—गलौज कर मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—9 से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण के द्वारा पंचू व सुभद्राबाई के साथ कोई मारपीट एवं गाली—गलौज नहीं की गई थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 12— उषाबाई (अ.सा.७) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी सुभद्राबाई व आहत पंचूिसंह को जानती है। घटना दो—तीन वर्ष पूर्व दिन के 10:00 बजे की है। गांव मे मीटिंग पंचूिसंह एवं सुभद्राबाई को लेकर रखी

गई थी। पंचू की पत्नी बिसनीबाई ने सुभद्राबाई को मारी थी। आरोपीगण ने सुभद्राबाई और पंचूसिंह को कुछ नहीं किया था, जबरदस्ती उन्हें फंसाया गया था। साक्षी को पक्षिवरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना की रात आरोपीगण ने पंचू व सुभद्राबाई को गाली—गलौज कर मारपीट की थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—10 से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

13— लखन भिमटे (अ.सा.८) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—30.09.2009 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक मोहरिंर के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा फरियादिया सुभद्राबाई की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—11 लेखबद्ध की गई, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—66/09, धारा—452, 294, 323, 324, 506/34 भा.द. वि. पंजीबद्ध किया गया था। साक्षी ने मामलें में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

14— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामिकशोर मातरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 30.09.2009 को वह थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध कमांक—66/09 की विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर सुभद्राबाई की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी—8 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को प्रार्थी सुभद्राबाई गवाह पंचूसिंह के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक—06.09.2009 को आरोपी रिव कुमार के पेश करने पर बॉस की लाठी आरोपी अरविन्द के पेश करने पर बॉस की लाठी तथा सुरेश के पेश करने पर धवा की लकड़ी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श—5, 6, 7 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी अरविन्द, रिव कुमार, कोमल तथा सुरेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—1, 2, 3 एवं 4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—13.10.09 को हेमकुंवरबाई, सरस्वती बाई एवं उषाबाई के बयान उनके बातए अनुसार लेख किया था। विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया।

15— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। साक्षी ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—8 फरियादी सुभद्राबाई के बताए अनुसार बनाया जाना प्रकट किया है। उक्त मौकानक्शा प्रदर्श पी—8 में घटनास्थल फरियादी सुभद्राबाई के घर के अंदर का बताया गया है। इस संबंध में फरियादी सुभद्राबाई (अ.सा.1) व पंचूसिंह (अ.सा.2) की मौखिक साक्ष्य से भी यह प्रकट होता है कि आरोपीगण के द्वारा फरियादी सुभद्राबाई के आवासीय घर के अंदर सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व अवैध रूप से प्रवेश किया तथा आहत सुभद्रा व पंचूसिंह के साथ मारपीट की गई थी।

मामले में प्रस्तुत सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि 16-आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत सुभद्राबाई एवं पंचूसिंह को प्रहार करते समय उनके पास प्रयुक्त साधन बांस की लकड़ी व लाठी से उक्त आहतगण को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानते थे कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत सुभद्राबाई एवं पंचूसिंह को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है। यद्यपि मामलें में अभियोजन ने आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक की साक्ष्य नहीं कराई है, ऐसी दशा में मामलें में आहतगण को साधारण उपहित के अलावा आरोपीगण के द्वारा आहतगण को मारपीट किये जाते समय लाठी या लकड़ी को कथित वेधन के उपकरण के रूप में उपयोग किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। स्वयं आहतगण ने भी अपनी साक्ष्य में कथित लकड़ी व लाठी को वेधन के उपकरण के रूप में उपयोग कर उन्हें उपहति कारित करने का तथ्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा कथित धारदार वस्तु व वेधन के उपकरण का उपयोग मारपीट में किया जाना प्रमाणित नहीं होने से आहतगण को केवल स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य प्रमाणित होता है।

17— घटना के समय आहत सुभद्राबाई एवं पंचूसिंह को सभी आरोपीगण के द्वारा उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में आहत सुभद्राबाई एवं पंचूसिंह को लाठी व लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की गई है। ऐसी दशा में उक्त आहतगण को स्वेच्छया उपहित कारित किये जाने के अपराध हेतु सभी आरोपीगण समान रूप से उत्तरदायी हैं।

18— अभियोजन की ओर से सुभद्राबाई (अ.सा.1) एवं पंचूसिंह (अ.सा.2) ने आरोपीगण के द्वारा घटना की रात को घर के सामने मॉ—बहन, तेरी मॉ को चोदू की

गाली—गलौज किया जाना प्रकट किया है तथा यह भी बताया है कि उक्त गाली उन्हें सुनने में बुरी लगी थी। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा घटना के समय लोकस्थान के समीप फरियादी सुभद्रा व पंचूसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित होता है।

19— फरियादी व अन्य साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा घटना के समय जान से मारने की धमकी दिये जाने का स्पष्ट तथ्य पेश नहीं किया है। फरियादी की ओर से घटना के युक्तियुक्त समय पश्चात् घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में की गई है। ऐसी दशा में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई या फरियादी कथित धमकी से भयभीत होकर पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा पाई थी। इस प्रकार अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि घटना के समय आरोपीगण के द्वारा फरियादी सुभद्रबाई व पंचू को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

20— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने आहत सुभद्राबाई व पंचूिसंह को मारपीट करते समय खतरनाक साधन व वेधन का उपयोग कर स्वेच्छया उपहित कारित की थी। अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी सुभद्राबाई व पंचूिसंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा— 324/34 (दो बार)एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21— अभियोजन ने यह युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोकस्थान के समीप फरियादी सुभद्राबाई व पंचूसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उन्हें क्षोभ कारित करते हुए फरियादी सुभद्राबाई के आवासीय घर में फरियादी को हमला एवं उपहित कारित करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व जबरन दरवाजा खोलकर प्रवेश कर रात्रो गृह भेदन कारित किया तथा आहत सुभद्राबाई एवं पंचूसिंह के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 458, 323 / 34 (दो बार) के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध टहराया जाता

22— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड़ के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

पश्चात्-

23— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2009 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहें हैं। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड़ से दिण्डत कर छोड़ा जावे।

24— मामले में आरोपीगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव सभी आरोपीगण को निम्नानुसार दिण्डत किया गया है:—

	1		
<u>धारा</u>	<u>कारावास</u>	<u>अर्थदंड</u> ट	अर्थदण्ड के
	4	700	व्यतिक्रम की
	70	D. 6	<u>दशा में</u>
	~ · · · ·	x s	<u>कारावास</u>
धारा—294 भा.दं.वि.	३ माह का	_	_
	साधारण		
	कारावास		
धारा—323 / 34 भा.दं.वि.	१ वर्ष का	_	_
(आहत सुभद्राबाई के लिए)	साधारण		
(S)	कारावास		
धारा—323 / 34 भा.द.वि.	1 वर्ष का	_	_
(आहत पंचूसिंह के लिए)	े साधारण		
7	कारावास		
धारा—458 भा.द.वि.	1 वर्ष का	500 / —रूपये	1 माह का
	साधारण		साधारण
(2)	कारावास		कारावास

उक्त सभी कारावास की सजा आरोपीगण को एक साथ भुगताई जावे। 25-

आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है। 26-

आरोपीगण प्रकरण में दिनांक-06.10.09 से दिनांक-09.10.09 तक 27-अभिरक्षा में निरूद्ध रहें हैं। उक्त अभिरक्षा की अवधि मूल कारावास में समायोजित किये जाने के संबंध में धारा-428 द्र प्र.सं के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लाठी, एक लकड़ी व एक 28-धावा की लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट

ंज ६ .ज.प्र.श्रेणी, .जला–बालाघ. (सिराज अली)